

# उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001

हेल्पलाइन नम्बर : 8400955546, +91-9151024463

Website: www.upsmfac.org

Email: upmedicalfaculty@upsmfac.org



पत्रांक संख्या-5746/25

दिनांक 25/06/25

## महत्वपूर्ण सूचना

संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया 2025-26 की सूचना विवरणिका के अध्याय-3 आरक्षण में उल्लिखित आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) एवं पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी हेतु दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के बाद के निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) एवं पिछड़ा वर्ग (OBC) के कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन करते समय आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) एवं पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी का प्रमाण-पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से पूर्व का अपलोड किया गया है, जो कि मान्य नहीं है। ऐसी अभ्यर्थियों को दिनांक 03 जुलाई, 2025 से 06 जुलाई, 2025 के मध्य नवीन प्रमाण-पत्र अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी उक्त निर्धारित तिथि में आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) एवं पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी का वैध प्रमाण-पत्र/रिन्यूवल आवेदन की रसीद अपलोड करते हुये काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। सीट आवंटन के पश्चात प्रवेश के समय वांछित श्रेणी का वैध मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में अभ्यर्थी का आवंटन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी।

अभ्यर्थी द्वारा किये गये आवेदन में आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) एवं पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के वैध प्रमाण-पत्र अथवा श्रेणी के प्रमाण-पत्र के रिन्यूवल आवेदन की रसीद दिनांक 06 अप्रैल, 2025 तक अपलोड नहीं किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) एवं पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी से अनारक्षित (UR) श्रेणी में मानते हुये काउंसलिंग में आवंटित प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

भवदीय,

सचिव,

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।